



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 549 राँची, मंगलवार,

3 नवम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

16 अक्टूबर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-37/2018-10737 (HRMS)-- श्री सुनील कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-पटना), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चाण्डिल, सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-634/रा0, दिनांक 04.04.2018 द्वारा प्रपत्र-क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-क' में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये-

“अनुमंडल दण्डाधिकारी चांडिल के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0-27/2011-12 में पारित आदेशानुसार खतियानी रैयत के नजदीकी वारीशान को भूमि पर दखल दिलाना चाहिए था। एस0ए0आर0 वाद में पारित आदेश के पारा-6 में स्पष्ट उल्लेखित है कि अनुसूचित जनजाति रैयत के महिला वंशज या उत्तराधिकारी जब अपना जाति और धर्म परिवर्तन कर अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में जनजाति रैयती भूमि पर दावा करना और गैर आदिवासी विपक्षी को भूमि समर्पित करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदिका का दावा गलत प्रतीत होता है। तदोपरांत भी श्री सुनील कुमार, अंचल अधिकारी, चांडिल द्वारा गैर आदिवासी को आदिवासी रैयती भूखण्ड दखल दिलाया गया।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3178, दिनांक 14.05.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में इन्होंने अपने पत्र, दिनांक-23.06.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6403, दिनांक 23.08.2018 द्वारा

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-2277/रा0, दिनांक 12.10.2018 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के मंतव्य समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-68(hrms), दिनांक 10.01.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-56, दिनांक 07.03.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध गठित आरोपो को सही नहीं प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं इस संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रेषित मंतव्य की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रेषित मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सुनील कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चाण्डिल, सरायकेला-खरसावाँ को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUNIL KUMAR JHK/JAS/205	श्री सुनील कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चाण्डिल, सरायकेला-खरसावाँ को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
